

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- 1.अपील संख्या – 1852 / 2011 / जोधपुर.
- 2.अपील संख्या – 1853 / 2011 / जोधपुर.
- 3.अपील संख्या – 1854 / 2011 / जोधपुर.
- 4.अपील संख्या – 1855 / 2011 / जोधपुर.
- 5.अपील संख्या – 1856 / 2011 / जोधपुर.
- 6.अपील संख्या – 1857 / 2011 / जोधपुर.

मैसर्स पवन पोलीप्लास्ट प्रा.लि.  
जोधपुर

बनाम

अपीलार्थी

वाणिज्यिक कर अधिकारी  
प्रतिकरापवंचन, जोधपुर

प्रत्यर्थी

1. अपील संख्या – 2244 / 2011 / जोधपुर.
2. अपील संख्या – 2245 / 2011 / जोधपुर.
3. अपील संख्या – 2246 / 2011 / जोधपुर.
4. अपील संख्या – 2247 / 2011 / जोधपुर.
5. अपील संख्या – 2248 / 2011 / जोधपुर.
6. अपील संख्या – 2249 / 2011 / जोधपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी  
प्रतिकरापवंचन, जोधपुर

बनाम

अपीलार्थी

मैसर्स पवन पोलीप्लास्ट प्रा.लि.  
जोधपुर

प्रत्यर्थी

### खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य  
श्री मदन लाल, सदस्य

### उपस्थित ::

श्री राजेन्द्र जैन,  
सी.ए.  
श्री डी.पी.ओड्झा,  
उप-राजकीय अभिभाषक  
निर्णय दिनांक 21.1.2014

.....व्यवहारी की ओर से

....विभाग की ओर से

### निर्णय

अपील संख्या 1852 से 1857 / 2011 व्यवहारी की ओर से एवं अपील संख्या 2244 से 2249 / 2011 वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) उपायुक्त (अपील्स)द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत क्रमशः अपील संख्या 44, 46, 58, 20 45 / आरवेट / जेयूबी / 2010-11 एवं 1 / आरवेट / जेयूबी / 2011-12 में पृथक-पृथक पारित आदेश दिनांक 23.05.2011 के प्रस्तुत की गयी हैं। उपरोक्त सभी बारह अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण

✓

✓

-2-अपील संख्या - 1852से 1857 / 2011 व 2244 से 2249 / जोधपुर

एक ही निर्णय से किया जाता है। निर्णय की एक-एक पृथक-पृथक पत्रावली पर रखी जाये।

प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार हैं कि आलोच्य अवधि वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्लास्टिक की विभिन्न ब्राण्डेड ("सैलो पंजीकृत ब्राण्ड") वस्तुओं का विक्रय किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के जोधपुर स्थित व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 27.10.2007 एवं 16.06.2008 करने तथा वाणिज्यिक कर निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट करने पर कि व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तुये "सैलो ब्राण्ड" भी प्लास्टिक की ब्राण्डेड हाऊस होल्ड वस्तुये (प्लास्टिक बाल्टी को छोड़कर) है, जिन पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय हैं परन्तु व्यवहारी द्वारा उक्त वस्तुओं के विक्रय पर अनुसूचियों के इन्द्राजातों की गलत व्याख्या कर, 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया जाकर, कर अपवंचन किया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को कारण बताओ नोटिसेज जारी कर खरीद- बिक्री के समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये। नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब पर विचार करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 25 के अन्तर्गत आलोच्य अवधियों के पृथक-पृथक मूल कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 20.11.2009, 30.3.2009, 20.11.2008, 29.03.2010 20.11.2008 एवं 29.03.2010 को पारित कर तदनुसार मांग राशियों की गई। तत्पश्चात समय समय पर व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उपर्युक्त वर्णित निर्धारण वर्षों में कायम की गई मांग राशियों में कमी करने की प्रार्थना की गयी, जिन्हें स्वीकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत आदेश पारित कर कर, ब्याज व अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्तियाँ आरोपित कर मांग राशियों कायम की गयी। उक्त प्रकार से पारित आदेशों के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने द्वारा राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 868 व 69/2010/जोधपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन, जोधपुर बनाम मैसर्स सेलो वर्ल्ड, महावीर मेंगा मार्ट, पावट, जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2011 व अपील संख्या 286 /2010 से 294/2010/जयपुर मैसर्स मदनलाल मालपीनी एण्ड कम्पनी में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2011 के आलोक में कायम की गई मांग राशियों में से यथावत रखी गई राशियों के विरुद्ध व्यवहारी की ओर से अपील,

12

Signature

-3-अपील संख्या - 1852से 1857 / 2011 व 2244 से 2249 / जोधपुर

संख्या 1852 / 2011 से 1857 / 011 एवं अपास्त की गई राशियों के विरुद्ध विभाग की ओर से अपील संख्या 2244 / 2011 ये 2249 / 2011 प्रस्तुत की गई हैं।

व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर प्रारम्भिक आपत्ति यह उठायी कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक को आदेश पारित करने से पूर्व सुनवायी का भी समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही विवादाधीन निर्धारण आदेश पारित किया गया है। अतः उक्त प्रारम्भिक आपत्ति पर ही प्रस्तुत छः अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 868 व 869 / 2010 / जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2011 को उद्धृत करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रकरण में, पारित निर्धारण आदेश पूर्णतः अविधिक एवम् अनुचित है। इस संबंध में अधिकृत प्रतिनिधि ने अग्रिम तर्क दिया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय की गई वस्तुयें अनुसूची-IV की प्रविष्टि कम संख्या-7, कम संख्या-95 तथा अनुसूची-IV के इन्द्राज कम संख्या-69 के अनुसार इसके भाग-ख के इन्द्राज कम संख्या-160 से आच्छादित होने के कारण, 4 प्रतिशत की दर से ही कर योग्य है। प्रविष्टि संख्या-7 के अनुसार सभी बर्तन (All utensils), 4 प्रतिशत से कर योग्य है। कथन किया कि “प्लास्टिक के डिब्बे” व “प्लास्टिक के कन्टेनर्स”, पैकिंग सामग्री होने के कारण, अधिनियम की अनुसूची-IV के इन्द्राज कम संख्या-95 व इन्द्राज कम संख्या-69 के अनुसार उक्त अनुसूची के भाग “ब” के इन्द्राज कम संख्या- 160 के प्रकाश में, 4 प्रतिशत की कर दर से कर योग्य है। तर्क दिया कि उपर्युक्त वर्णित वस्तुओं का अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 159 से कोई संबंध नहीं है फिर भी निर्धारण अधिकारी ने मनमर्जी से बिक्रीत वस्तुओं को 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य होना अवधारित किया है। कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बेचा गया सामान अनुसूची-IV की प्रविष्टि कम संख्या 7, 95 व अनुसूची-IV के इन्द्राज कम संख्या-69 के अनुसार उक्त अनुसूची के भाग “ब” में वर्णित इन्द्राज कम संख्या 160 से आच्छादित है। अग्रिम अभिवाक् किया कि “यूटेनसिल्स” को अधिनियम व नियमों, में अथवा अनुसूची 4 में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में, अनुसूची-IV के इन्द्राज में समस्त बर्तनों (All Utensils) की शब्दावली के मद्देनजर, सभी प्रकार के बर्तन, वे चाहे किसी प्रकार

-4-अपील संख्या - 1852से 1857 / 2011 व 2244 से 2249 / जोधपुर


की धातु अथवा अन्य कच्चे माल को उपयोग कर बनाये गये हों, समस्त बर्तनों की श्रेणी में आते हैं। उक्त इन्द्राज में केवल कीमती धातुओं के बर्तनों का ही अपवर्जन किया गया है। इससे विधायिका की मंशा साफ दृष्टिगोचर होती है।

अतः ऐसी स्थिति में, विद्वान अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश, जो समस्त तथ्यात्मक एवम् विधिक स्थिति का गहन विश्लेषण एवम् विवेचन कर पारित किये गये हैं, में किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने का कोई विधिसम्मत एवम् युक्तियुक्त औचित्य नहीं है। जहां तक अनुसूचियों के इन्द्राजों में अंकित शब्दावली को लेकर कोई विवाद कर दर के संबंध में हो अथवा यदि कोई मतभिन्नता हो, तो ऐसी स्थिति में, माननीय न्यायालयों का निरंतर यह मत रहा है कि ऐसे इन्द्राजों का निर्वचन करदायी के हित में किया जाना विधिसम्मत है। वैकल्पिक रूप से तर्क दिया कि कर कानूनों में जो कुछ लिखा गया है उसके अतिरिक्त पढ़ा जाना अनुज्ञेय नहीं है। इस संबंध में अभिवाक् किया कि प्लास्टिक के समस्त बर्तन, प्लास्टिक कन्टेनर्स व प्लास्टिक डिब्बे उपर्युक्त वर्णित अनुसूची-IV उपर्युक्त वर्णित इन्द्राजों से अधिशासित होते हैं एवम् इस संबंध में विधायिका द्वारा किये गये इन्द्राज विशिष्ट है। अधिनियम की अनुसूची-V के इन्द्राज कम संख्या-1 की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि इसमें वस्तुयें, जो किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं है, उन पर कर की दर 12.5 प्रतिशत है, जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रकरणों में उपर्युक्त वर्णित विवेचन व इन्द्राजों के अनुसार, अधिनियम की धारा 4 के आलोक में, 4 प्रतिशत की दर से ही कर दायित्व है। तर्क दिया कि प्रत्यर्थी द्वारा माल की खरीद अथवा विक्रय के संव्यवहारों को लेखापुस्तकों से छिपाया नहीं गया है। अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने सद्भावनापूर्वक, सभी विक्रय संव्यवहारों का लेखापुस्तकों में जमाखर्च कर रखा है। इस संबंध में पूरे बिल्स एवम् दस्तावेज मौजूद हैं तथा व्यवहारी द्वारा नियमित रूप से विक्रय विवरणियां समय-समय पर प्रस्तुत की जाती रही हैं तथा विवरणियों में घोषित आवर्तानुसार देय कर राजकोष में जमा करवाया जाता रहा है। अतः ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को करापवंचन किये जाने का दोषी मानकर, अधिनियम की धारा 61(1) के अन्तर्गत, जो शास्ति आरोपित की गयी है, वह पूर्णतः अविधिक एवम् अनुचित है, जिसे अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 22.01.2009 को आदेश पारित करने से पूर्व, प्रकरण में कर दायित्व के संबंध में गंभीरता से कोई जांच नहीं की गयी है बल्कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 159 को आधार बनाकर मनमर्जी से प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिकीत

—5— अपील संख्या — 1852 से 1857 / 2011 व 2244 से 2249 / जोधपुर

ब्रॉडबैड प्लास्टिक वस्तुओं के विकास पर 12.5 प्रतिशत की दर से जो करारोपण किया है, वह पूर्णतः अविधिक एवं अनुचित है। अपने कथनों के समर्थन में अग्रांकित न्यायिक दृष्टांत प्रोद्धरित किये गये:—

- (i) मैसर्स भारत विजय मिल्स लि, बनाम् कमिशनर ऑफ कमर्शियल टैक्सेज, 85 एस.टी.सी. 23. (कर्नाटक) ।
- (ii) मैसर्स मयूरी यीस्ट इण्डिया (प्रा.) लि. व अन्य बनाम् स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य, 9 वैट रिपोर्टर 190. (सु.को.) ।
- (iii) मैसर्स ओरियंट पेपर एण्ड इण्डस्ट्रीज़ लि. बनाम् स्टेट ऑफ एम.पी. एण्ड अदर्स, (2007) वैट रिपोर्टर 20. (सु.को.) ।
- (iv) मैसर्स पी.के.ऊन्नी बनाम् निर्मला इण्डस्ट्रीज़ एण्ड अदर्स, ए.आई.आर 1990 (सु.को.) 993 ।
- (v) श्री राम, दया राम एण्ड अदर्स बनाम् द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ए.आई.आर 1961 (सु.को.). 674 ।
- (vi) मैसर्स नेशनल इंशोरेन्स कं. लि. बनाम् शिन्दर कौर एण्ड अदर्स, ए.आई.आर आर 1998 184. (पंजाब एण्ड हरयाना) ।
- (vii) मैसर्स टी.टी.के प्रेस्टीज लि. बनाम् स्टेट ऑफ कर्नाटक, 133 एस.टी.सी. 317. (कर्नाटक) ।
- (viii) मैसर्स स्टोवेकाफ्ट प्रा.लि. बनाम् स्टेट ऑफ कर्नाटक, 147 एस.टी.सी.329. (कर्नाटक) ।
- (ix) मैसर्स एलेम्बिक ग्लास इण्डस्ट्रीज़ लि. बड़ौदा बनाम् द स्टेट ऑफ गुजरात, अपील क्रमांक 14 / 2006, निर्णय दिनांक 22.11.2006. (गुजरात वैल्यू ऐडेड टैक्स ट्रिब्यूनल) ।
- (x) कमिशनर ऑफ सेल्स टैक्स, यू.पी.बनाम् मैसर्स टाटा ऑयल मिल्स, कं. लि. 22 टैक्स अपडेट 267. (इलाहाबाद)
- (xi) मैसर्स श्री मेटेलिक यार्न इण्डस्ट्रीज, अजमेर बनाम् वा.क.अ., अजमेर 8 वैट रिपोर्टर 176. (राजस्थान)
- (xii) मैसर्स राठी सिन्थेटिक्स एण्ड सिल्क मिल्स, भवानीमण्डी बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन—प्रथम, कोटा अपील संख्या 1563, 1564 व



-6-अपील संख्या - 1852 से 1857 / 2011 व 2244 से 2249 / जोधपुर

1565 / 199 / झालावाड़, निर्णय दिनांक 15.11.2002, 4 टैक्स अपडेट 232. [आर.

टी.बी.(एस.बी.)]

(xiii) मैसर्स ह्यूलेट-पैकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा.लि., सी-185, सिंघल ऐरोमेटिक्स, वी.के.आई. एरिया, जयपुर बनाम् वा.क.अ. प्रतिकरापवंचन, जोन-द्वितीय, जयपुर,

अपील संख्या 1574 से 1576 / 2008 / जयपुर, 25 टैक्स अपडेट 189. [आर.टी.बी.

(डी.बी.)]

(xiv) वा.क.अ., वृत्त-द्वितीय, राजस्थान, जयपुर बनाम् मैसर्स मदनलाल मालपानी

एण्ड कं0, अपील क्रमांक 286 से 294 निर्णय दिनांक 15.04.2011. [आर.टी.बी.(डी.

बी.)]

उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में पुनः जोर देकर तर्क दिया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तुयें अनुसूची-IV के इन्द्राज क्रम संख्या-7 “समस्त बर्तनों” तथा पैकिंग मेटेरियल्स व प्लास्टिक कंटेनर्स/डिब्बे अनुसूची-IV के इन्द्राज क्रम संख्या-95 व विशिष्ट रूप से अनुसूची-IV के इन्द्राज क्रम संख्या 69 के अनुसार अनुसूची-IV के भाग 'ब' के इन्द्राज क्रम संख्या-169 से आच्छादित है। अतः उक्त बिक्रीत वस्तुओं के लिये कर दर के विशिष्ट इन्द्राज मौजूद होने के कारण, “सैलो ब्राण्ड” की उक्त ब्राण्डेड प्लास्टिक वस्तुओं पर कर की दर 4 प्रतिशत अवधारित करने में विद्वान अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। जहां तक अन्य ब्राण्डेड प्लास्टिक वस्तुओं का प्रश्न है, जो उपर्युक्त वर्णित इन्द्राजों से आच्छादित नहीं हैं, उन पर विद्वान अपीलीय अधिकारी ने आलोच्य अवधियों में 12.5 प्रतिशत की दर से किये गये करारोपण व अनुवर्ती ब्याज को उचित होना अवधारित किया है, अतः ऐसी स्थिति में, विद्वान अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की गयी। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को विधिसम्मत नहीं होना प्रकट कर, कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल के समस्त संव्यवहार बहीयात में दर्ज है, न ही विवरणियों से किसी प्रकार का कोई विक्रय संव्यवहार छिपाया गया है। केवल कराधान के इन्द्राज के निर्वचन का विवाद पैदा कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा मनमर्जी से अधिनियम की धारा 61(1) के तहत कर अपवंचन अवधारित कर, शास्ति आरोपित करना न्यायोचित नहीं है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के निम्नांकित दृष्टांतों का अवलम्ब लिया है :-

—

—

-7-अपील संख्या - 1852से 1857 / 2011 व 2244 से 2249 / जोधपुर

- (i) वाणिज्यिक कर अधिकारी, स्पेशल सर्किल, पाली बनाम् मैसर्स सोजत लाईम कम्पनी, 74 एस.टी.सी.288. (राज.)
- (ii) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स बारां कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. 93 एस.टी.सी. 239. (राज.) ।
- (iii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स कुमावत उद्योग 97 एस.टी.सी. 238. (राज.) ।
- (iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर बनाम् मैसर्स एल.एन.टी. कोमात्सू लि. उदयपुर, सैल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन क्रमांक 226 / 2009 से 229 / 2009 निर्णय दिनांक 29.03.2010 (राज.) ।
- (v) मैसर्स लार्ड वैकटेश्वर कैटरर्स बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर 19 टैक्स अपडेट 85. (राज.) ।
- (vi) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 वी.एस.टी. 249. (सु.को.) ।
- (vii) सहायक आयुक्त, उदयपुर बनाम् मैसर्स कॉटेज इण्डस्ट्रीज एक्सपोजीशन लि. (2008) 22 टैक्स अपडेट 289. [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।
- (viii) मैसर्स हयूलेट पेक्ड इण्डिया सेल्स प्रा.लि. बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर-25 टैक्स अपडेट 189. [आर.टी.बी.(डी.बी.)]
- (ix) मैसर्स साधवानी ट्रेडर्स, जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर-27 टैक्स अपडेट 43. [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।
- (x) मैसर्स रेबेनसन ऑप्टीक्स लि. भिवाडी बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-ए, भिवाडी, अपील क्रमांक 1437 / 2009 से 1439 / 2009 / अलवर निर्णय दिनांक 12.07.2011. [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।
- (xi) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत-तृतीय, जयपुर बनाम् मैसर्स रेकिट बेन्काईजर इण्डिया लिमिटेड, बी-139, रोड़ नम्बर-12, वी.के.आई.ए., जयपुर अपील क्रमांक 2070 से 2073 / 2010 / जयपुर, 1305 से 1308 / 2010 / जयपुर निर्णय दिनांक 15.09.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।

17

20

-8—अपील संख्या – 1852से 1857 / 2011 व 2244 से 2249 / जोधपुर

(xii) मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि., जयपुर बनाम वा.क.आ. एन्टीइवेजन, जोन-तृतीय, जयपुर अपील कमांक 332 से 335 / 2011 / जयपुर निर्णय दिनांक 19.07.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में कथन किया कि अधिनियम की धारा 61(1) के तहत आरोपित शास्ति विधि अनुकूल नहीं है। अतः इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की गयी।

विभाग की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्राण्डेड प्लास्टिक वस्तुओं पर 12.5 प्रतिशत की दर से, करारोपण कर, जो निर्धारण आदेश विवादित अवधि के लिये पारित किया गया है, में कायम की गयी मांग राशियां पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है, जिन्हें अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से आंशिक रूप से स्वीकार कर, कतिपय ब्राण्डेड प्लास्टिक की वस्तुओं पर अतिरिक्त करारोपण व अनुवर्ती ब्याज तथा अधिनियम की धारा 61 (1) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त करने में विधिक त्रुटि की गयी है। अग्रिम तर्क दिया कि प्रत्यर्थी-व्यवहारी द्वारा ब्राण्डेड प्रकृति के प्लास्टिक उत्पादों का विक्रय किया जाना निर्विवादित है तथा इन पर कर की दर अधिनियम की अनुसूची-IV में अंकित शब्दावली के अनुसार स्वयमेव ही 12.5 प्रतिशत ही है, न कि 4 प्रतिशत। इस संबंध में अनुसूची-IV के इन्द्राज 159 की ओर ध्यानाकर्षित कर निवेदन किया गया कि उक्त अनुसूची-IV के इन्द्राज संख्या-159 के आलोक में, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तुयें ब्राण्डेड प्लास्टिक वस्तुयें होने के कारण, अपीलार्थी, निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अंतर कर, अनुवर्ती ब्याज व शास्तियां विधिसम्मत हैं। अतः इन्हें पुनर्स्थापित कर, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में प्रदान की गयी राहत के बिन्दु तक, अपास्त कर, प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् माननीय न्यायालयों के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि का सम्मान अध्ययन किया गया। रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जारी नोटिसेज की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किये गये हैं अतः रिकॉर्ड के अनुशीलन से प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवायी का अवसर दिया जाना प्रकट है। अतः इस बिन्दु पर भी विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि

—9—अपील संख्या — 1852से 1857 / 2011 व 2244 से 2249 / जोधपुर

द्वारा उठाये गये तर्क स्वीकार योग्य नहीं हैं। इस संबंध में रिकॉर्ड के अनुशीलन व माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, अधिनियम की अनुसूची-IV के इन्द्राज कम संख्या क्रमशः 07, 95 तथा अनुसूची-IV के ही इन्द्राज कम संख्या-69 के अनुसार इसके भाग 'ब' के इन्द्राज कम संख्या 160 व अनुसूची- IV के ही इन्द्राज कम संख्या-159 तथा अनुसूची-V के इन्द्राज कम संख्या-1 में अंकित "शब्दावली" का अध्ययन किया जाना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:-

अनुसूची-IV (अधिनियम की धारा-4) 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य वस्तुये:-

(i) इन्द्राज कम संख्या-7— "All utensils including pressure cookers, pans and cutlery but excluding utensils made by precious metals"

(ii) इन्द्राज कम संख्या-95— "Packing materials."

(iii) इन्द्राज कम संख्या-159— "Unbranded household plastic goods namely comb, Jug, Soap case, mug, photoframes, chakla, belan, patta, chhalani, lunch box, pencil box, bottles, trays, tokaras including baskets, mats, basins, tubs and drums provided that per item price does not exceed rupees two hundred."

(iv) अनुसूची-IV के इन्द्राज संख्या-69 के अनुसार भाग-'ब' का इन्द्राज संख्या-160:-

"Articles for packing of goods of plastics namely crates, containers, carboy bottles, jars, jerrycans, stoppers, lids, caps, but not including insulated wares and such other items used at the time of sale for the convenience of the customers including carry bags."

(v) अनुसूची-V के इन्द्राज संख्या-1 "Goods not covered in any other schedule under the Act or under any notification issued under section-4 of the Act."

व्यवहारी की ओर से राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 868 व 869 / 2010 / जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2011 में हस्तगत प्रकरणों से सम्बन्धित बिन्दुओं, उद्धरित निर्णय दिनांक 12.12.2011 के समान है, पर निम्न निर्णय पारित किया गया है :-

-10-अपील संख्या - 1852से 1857 / 2011 व 2244 से 2249 / जोधपुर

“अब हमारे समक्ष निणयार्थ बिन्दु यह है कि क्या प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों की त्रैमासिक विवरणियों में घोषित बिक्रीत “प्लास्टिक डोमेस्टिक वेर्स”/हाऊस होल्ड गुड्स, जो सुनवायी के दौरान प्लास्टिक की ब्राण्डेड वस्तुयें यथा:- वाटर जग, केसरोल, आईस पैक्स, लंच-बॉक्स, वाटर बोटल्स, वैक्यूम फ्लास्क्स, प्लास्टिक के डिब्बे एवं कंटेनर, मग, बेसिन, ट्रे ड्रिकिंग जग, सिरेमिक आईस (बॉजल्स) तथा बाथरूम सैट्स, सोपकेस/डिस्क, पाटला (पाटा), डस्टबिन, सूमो रस्तूल व अन्य ब्राण्डेड प्लास्टिक वस्तुयें सामने आयी हैं, पर उपर्युक्त वर्णित अंकित अनुसूचियों में वर्णित शब्दावली के आलोक में, अधिसूचित कर दर क्या है ? इस बिन्दु पर निर्णय हेतु माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित विधि व अनुसूचियों में वर्णित कर दर के इन्द्राजातों पर विचार करना समीचीन होगा। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ऊपर वर्णित प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में माननीय उच्चतम न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा राजस्थान उच्च न्यायालय का यह निरंतर मत रहा है कि “कर” दर के इन्द्राज के निर्वचन पर विवाद की दशा में, करदायी के हित की ही कर दर का इन्द्राज लागू किये जाने योग्य है । इस संबंध में कतिपय न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि का अवलोकन करना न्यायहित में समीचीन होगा, जो अग्रांकित है:-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साईज, चण्डीगढ़ बनाम मैसर्स दोआबा स्टील रोलिंग मिल्स, सिविल अपील कमांक 3400 ऑफ 2003 निर्णय दिनांक 06.07.2011 में विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में निम्न प्रकार अभिव्यक्त किया गया है:-

“....the principle that a taxing statute should be strictly construed is well settled. It is equally true that the intention of the Legislature is primarily to be gathered from the words used in the statute. Once it is shown that an assessee falls within the letter of the law, he must be taxed however great the hardship may appear to the judicial mind to be.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त वर्णित न्यायिक निर्णय में इस संबंध में कराधान के सिद्धांतों की व्याख्या को सुस्पष्ट करते हुये माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व में निर्णित निम्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि को निम्न प्रकार अंकित किया है:-

12

-11-अप्रैल संख्या - 1852 से 1857 / 2011 व 2244 से 2249 / जोधपुर

On the principles of interpretation of taxing statutes, the following passage from the opinion of Late Rowlatt, J. In Cape Brandy Syndicate Vs. Inland Revenue Commissioner's 1921 (1) के.बी 64, 71 has become the locus classicus and has been quoted with approval in a number of decisions of this court:

".....in a taxing act, one has to look merely at what is clearly said. There is no room for any intendment. There is no equity about a tax. There is no presumption as to a tax. Nothing is to be read in, nothing is to be implied. One can only look fairly at the language used." (पैरा-20)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत Commissioner of Sales Tax, Uttar Pradesh Vs. The Modi Sagar Mills Ltd., (1961) 2 एस.सी.आर. 189 में J.C. Shah, J. की अभिव्यक्तियों को निम्न प्रकार अंकित किया है:-

"In interpreting a taxing statute, equitable considerations are entirely out of place. Nor can taxing statutes be interpreted on any presumptions or assumptions. The court must look squarely at the words of the statute and interpret them. It must interpret a taxing statute in the light of what is clearly expressed, it cannot imply anything which is not expressed.; it cannot import provisions in the statutes so as to supply any assumed deficiency." (पैरा-21)

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत Maturam Agarwal Vs. State of Madhya Pradesh, (1999) 8 एस.सी.सी. 667 में न्यायमूर्ति D.P. Mahapatra, ने संवेदानिक पीठ की ओर से निम्न प्रकार विधि को अवधारित किया है:- "

"The intention of the legislature in a taxation statute is to be gathered from the language of the provisions particularly where the language is plain and unambiguous. In a taxing Act it is not possible to assume any intention

orgoverning purpose of the statute more than what is stated in the plain language. It is not the economic results sought to be obtained by making the provision which is relevant in interpreting a fiscal statute. Equally impermissible is an interpretation which does not follow from the plain , unambiguous langague of the statute.  
Words cannot be added to or substituted so as to give a meaning to the stature which will serve the spirit and intention of the legislature. The statute should clearly and unambiguously convey the three components of the tax law i.e. the subject of the tax, the person who is liable to pay the tax and the rate at which the tax is to be paid. If there is any ambiguity regarding any of these ingredients in a taxation statute then there is no tax in law. Then it is for the legislature to do the needful in the matter.”

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मैसर्स भारत विजय मिल्स लि, बनाम कमिशनर ऑफ कमर्शियल टैक्सेज, 85 एस.टी.सी. 23 के प्रकरण में निम्न प्रकार विधि प्रतिपादित की है:- “ The question will have to be answered with reference to the principles of interpretation applicable to be taxing statute. In the decision reported in {1973} 88 ITR 192( Commissioner of Income Tax Vs. Vegetable Products Ltd.), it was held by the Supreme Court that if there are two competing entries, the entry which is beneficial to the assessee will have to be adopted. Though there is no equity in the taxing statue, the rule of interpretation that in the matter of competing interests, a citizen should be given the benefit as against the State is not excluded. The same idea is conveyed when it is said that if an article is to be taxed and the said article may fall within two entries, the entry which is more beneficial to the assessee will have to be accepted as applicable to the article in question.” (पैरा-4)

12

2

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स मयूरी यीस्ट इण्डिया (प्रा.) लि. व अन्य बनाम् स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य 9 वैट रिपोर्टर 190 में निम्न प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया हैः—

"It is now a well settled principle of law that in interpreting a different entries, attempts shall be made to find out as to whether the same answers the descriptions of the contents of the basic entry and only in the event it is not possible to do so, recourse to the residuary entry should be taken by way of last resort." (पैरा—30)

15. इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मैसर्स श्री मेटेलिक यार्न इण्डस्ट्रीज, अजमेर बनाम् वा.क.अ., अजमेर 8 वैट रिपोर्टर 176 में निम्न प्रकार अभिव्यक्त किया हैः— “..it is well settled principle of interpretation that where two views are possible, one in favour of the subject or assessee has to be adopted.....”

इसी प्रकार माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मैसर्स स्टोवेकाफ्ट प्रा.लि. बनाम् स्टेट ऑफ कर्नाटक 147 एस.टी.सी.329 के प्रकरण में ‘सभी बर्तनों’ (All Utensils) के इन्द्राज का निर्वचन कर, निम्न प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया हैः—

"Third Schedule which came into effect from June. 7 2005 in entry No. 5 is included "all utensils including pressure cookers and pans other than utensils made up of precious metals." Thus, the legislative intent is made clear expressly. What is specifically excluded is the utensils made up of precious metals. The tax of four percent is levied on all utensils made of precious metals.....(पैरा—14)"

However, the word "utensils" includes a vessel and all other tools and implements which are of use for domestic purpose and in a kitchen,. If the legislatibe intent is kept in mind and the meaning of the word "utensil" as gathered from the aforesaid definition is taken into consideration and the way the entry is worded namely "all utensils" "including" and when what is excluded from this definition is expressly stated it is clear that a stove whether it is LPG stove or kerosene wick stove would fall within the words "all utensils" and falls within entry No 5 of the Third Schedue to the Act." (पैरा—14)  
Under the circumstances, the findings recorded by the authority that

stoves have a general purpose use both domestic and commercial, it cannot be called as kitchen utensil for purpose of the KVAT Act and that the vacuum flask has a general purpose and they are not only used in house hold and in commercial establishments, hospitals etc, for carrying a liquid it cannot make a flask a kitchen utensils do not stand to reason. Therefore, the said ruling by the authority holding that the stoves and flasks are to be taxed under section 4(1)(b) of the Act at 12.5% is hereby set aside. (पैरा—19)


In view of the aforesaid discussion we are of the view that the phrase "utensils" used in entry No. 5 includes the stainless steel LPG stove, kerosene stove and vacuum flask which are of common utility in a household and the same fall within entry No. 5 and liable to be taxable only at four percent. (पैरा—20)

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि व अधिसूचित कर दरों के इन्द्राजात के आलोक में, यह पीठ यह अभिनिर्धारित करना न्यायसम्मत समझती है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में बिकीत प्लास्टिक थर्मोवेयर वस्तुयें यथा:- वाटर जग, केसरोल, आईस पैक्स, लंच बॉक्स, वाटर बोटल, वैक्यूम फ्लास्क, प्लास्टिक के डिब्बे व कन्टेनर्स, मग, जग, ट्रे, ड्रिंकिंग जग व सिरेमिक बाऊलस माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 147 एस.टी.सी. 329 में प्रतिपादित विधि के आलोक में, बर्तनों की श्रेणी में होने के कारण, अनुसूची-IV के इन्द्राज कम संख्या-7 से आच्छादित है क्योंकि समस्त बर्तनों में से केवल कीमती धातु के बर्तनों का ही अपवर्जन है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कर्नाटक वैल्यू ऐडेड टैक्स की अनुसूची-III में अंकित शब्दावली “सभी बर्तनों” का इन्द्राज अधिनियम की अनुसूची-IV के इन्द्राज कम संख्या-7 में समान रूप से अंकित है, (कटलरी के अतिरिक्त) जहां तक व पैकिंग सामग्री व प्लास्टिक कन्टेनर्स एवम् डिब्बे तथा बोटल्स का प्रश्न है, “पैकिंग सामग्री” का उल्लेख अनुसूची-IV के इन्द्राज कम संख्या-95 में है व कन्टेनर्स तथा प्लास्टिक बोटल्स अनुसूची-IV के इन्द्राज कम संख्या 69 के अनुसार इसके भाग ‘ब’ के कम संख्या 160 से भी आच्छादित है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रोद्धरित समन्वय पीठ के अपील संख्या 286 / 2010 / जयपुर से 294 / 2010 / जयपुर निर्णय दिनांक 19.04.2011 मैसर्स मदनलाल मालपानी एण्ड कम्पनी के प्रकरण में “प्लास्टिक की ब्राण्डेड बोटल्स” व “जार्स” को पैकिंग सामग्री में, होना अवधारित किया गया है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में, इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश विधिसम्मत व उचित होने के कारण इसकी पुष्टि की जाती है। जहां तक अन्य ब्राण्डेड प्लास्टिक वस्तुयें यथा:- बाथरूम सेट्स, सोप-केस / डिस्क, पाटला (पाटा) डस्टबिन, सूमो स्टूल, व अन्य ब्राण्डेड

प्लास्टिक वस्तुयें के विक्रय पर कर दर का प्रश्न है, उक्त पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर दायित्व होना अवधारित कर, अनुवर्ती ब्याज की पुष्टि करने के बिन्दु पर भी विद्वान अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत एवं उचित है। अतः इन बिन्दुओं पर भी अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है। जहां तक अधिनियम की धारा 61(1) के तहत आरोपित शास्ति का प्रश्न है, विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय व कर बोर्ड के न्यायिक निर्णयों में निरंतर प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, अधिनियम की धारा 61(1) के तहत आरोपित शास्ति भी अपास्तनीय होना निर्णित कर, अपास्त किया गया है, जो ऊपर वर्णित प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में, विधिसम्मत एवं उचित है क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बहीयात व विवरणियों से कोई विक्रय / क्रय संव्यवहार छिपाया नहीं गया है। अतः इस बिन्दु पर भी विद्वान अपीलीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई विधिसम्मत औचित्य प्रतीत नहीं होता। लिहाजा, विद्वान अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।"

राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 868 व 869 / 2010 / जोधपुर के प्रकरणों में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2011 के तथ्य हस्तगत प्रकरणों के तथ्यों से पूर्णतः आच्छादित हैं। अतः उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में व्यवहारी व विभाग की ओर से प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
( मदनलाल )  
21.1.14

सदस्य

  
( सुनील शर्मा )

सदस्य